

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2548
5 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

इस्पात और धातुओं की मांग

2548. श्री अनूप संजय धोत्रे:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार शहरीकरण और बुनियादी ढाँचे के विकास के कारण इस्पात और धातुओं की माँग में होने वाली अनुमानित वृद्धि से अवगत है;
- (ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार के पास इस्पात क्षेत्र में वर्तमान उत्पादन स्तर और विकास के रुझानों का ब्यौरा है;
- (ग) भारत में इस्पात और धातु उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या कोई उल्लेखनीय चुनौतियाँ या अवसर सामने आए हैं; और
- (घ) क्या सरकार ने इस्पात क्षेत्र के विकास को और बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हाँ, तो इन पहलों का विस्तृत ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री एच. डी. कुमारास्वामी)

(क) से (घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास हेतु अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 में शहरीकरण और अवसंरचना विकास, निर्यात और विभिन्न अन्य कारकों द्वारा प्रेरित घरेलू मांग में वृद्धि के अनुमानों के आधार पर वर्ष 2030 तक 300 मिलियन टन (एमटी) की कूड इस्पात क्षमता और 255 एमटी के उत्पादन की परिकल्पना की गई है।

वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए कूड इस्पात का उत्पादन क्रमशः 144.30 एमटी और 152.18 एमटी रहा, जो विगत वर्ष की तुलना में 5.5% अधिक है। वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए तैयार इस्पात की खपत क्रमशः 136.29 एमटी और 152.13 एमटी रही, जो विगत वर्ष की तुलना में 11.6% अधिक है। सरकार ने इस्पात क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

- सरकारी अधिप्राप्ति हेतु 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन।
- देश में 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेश को आकर्षित कर आयात को कम करने के लिए 'विशेष इस्पात' हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की शुरुआत करना।
- केन्द्रीय बजट में अवसंरचना संबंधी विस्तार पर जोर दिया जाना, जिससे इस्पात की खपत में वृद्धि हो सके।
- इनपुट लागतों को कम करने के लिए फ़ैरो-निकल और फेरस स्कैप जैसे कच्चे माल के आयातों पर मूलभूत सीमा शुल्क में अंशाकन (कैलिब्रेशन) करना।
- घरेलू इस्पात उद्योग को आयात पर विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने हेतु आयात की निगरानी के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) में सुधार करना।